राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, श्रीगंगानगर (राज0)

पत्रॉक–के.रा.फा / जैत / यॉत्रिक / 12–7 / 2019–20 / दिनांक 10 अप्रैल 2019

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, श्रीगंगानगर पर मानव श्रम शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा विभिन्न कृषि कार्यो के लिये ट्रैक्टर चालको की आवश्यकता हेतु दिनांक 22.04.19 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक सीलबन्द निविदाये ऑमत्रित की जाती है, जो उसी दिन 12.00 बजे अपरान्ह खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस मे भण्डार कार्यालय, जैतसर फार्म से प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकता है। इस संबध मे शुद्विपत्र केवल उक्त वेबसाईट पर ही डाला जायेगा।

10/4/19

सहायक महाप्रबन्धक (यॉ)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला– श्रीगंगानगर (राजस्थान)
फैक्स-01498-261233

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail - nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Distt. Sri Ganganagar (Raj)
PHONES: (01498-261202,261226 (Office) Tele – Fax :- 01498-261233

निविदा नियम व शर्ते

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर , जिला श्रीगंगानगर पर मानव श्रम शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा ठेके पर ट्रैक्टर चालको की विभिन्न कृषि कार्यो हेतु आवश्कता है । जिसकी नियम व शर्ते निम्न प्रकार से है।

1. निविदादाता के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है , ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की दुविधा न हो।
2. निविदादाता द्वारा रूपये 25000.00 धरोहर राशि बैंक डिमांड ड्राफट के रूप जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड , जैतसर के पक्ष में व भारतीय स्टेट बैंक , बाजूवाला के नाम देय होना चाहिए , जो निविदा देने से पूर्व फार्म खजांची के पास जमा करवानी होगी। धरोहर राशि आर.टी.जी.एस. द्वारा भी निगम के खता संख्या 33963396672 आई.एफ.एस.सी कोड SBIN0008251 में जमा करवायी जा सकती है। जिसका यू.टी.आर न0 निविदादाता को उपलब्ध करवाना होगा। असफल निविदादाओं को धरोहर राशि बिना ब्याज क वापिस कर दी जायेगी । यदि एजेन्सी अनुबन्घ के नियम व शर्तो का पालन करने में विफल रहती है या जनशक्ति की आपूर्ति में निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होता है या कर्मिक प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी जनशक्ति द्वारा लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने पर जमा प्रतिभूति राशि सुरक्षा को जब्त कर लिया जाएगा। जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के रूप में रख ली जाएगी।
3. प्रारम्भ में अनुबंध का कार्यकाल एक वर्ष है , जिसे आवश्यकता पड़ने पर वर्ष दर आधार पर अन्य दो वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है। यदि जनशक्ति प्रदान करने वाली एजेन्सी की सेवाये असंतोषजनक रहने की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड , जैतसर फार्म के सक्षम अधिकारी अपने विवेक से एक माह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त कर सकते है।
4. सुरक्षा /जोखिम अक्षमता , वैचारिक मतभेद और गोपनीयता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप जैतसर फार्म द्वारा अस्वीकार्य कर्मी का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरन्त जनशक्ति प्रदाता करने वाली संस्थान /ठेकेदार को उक्त कर्म को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरन्त नया कर्मी उपलब्ध करवाना होगा।
5. चालक प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान , उपकरण या वाहन की चोरी क्षति या डैकेती के लिये फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
6. संस्थान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यदि फार्म के किसी ट्रैक्टर /मशीन का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जाएगी। नुकसान का आकलन करने निदेशक महोदय के द्वारा गठित कमेटी से करवाया जाएगा और इस संदर्भ में निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।
7. चालक प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मियो को कार्य स्थल पर सौपे गये कार्य के प्रति सौहार्दपूर्ण , सकारात्मक एवं कुशल होना चाहिए और उनके कार्य सद्भावना को बढ़ावा दे और इस निगम की छवि में सुधार करे । जनशक्ति प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिये एजेन्सी खुद जिम्मेवारी होगी।
8. जनशक्ति प्रदान करने वाली एजेन्सी के कर्मी कार्यालय के विवरण संचालन प्रकिया तकनीकी खुलासे , सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट या खुलासा नहीं करेगे।
9. औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मकार मुआवजा अधिनियम और समय समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक प्रदान करने वाली एजेन्सी का होगा तथा ईपीएफ एवं ईएसआई का पूंजीकरण प्रमाण –पत्र नियमानुसार आवश्यक होगा।
10. तैनात व्यक्ति को केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर के खिलाफ कर्मचारी नियोक्ता संबंधी एवं स्थायी रोजगार के लिये दावा करने का हक नहीं होगा । इस विषय में हमारे साथ नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबद्ध कर ले।

लगातार पेज 2 पर

लगातार पेज 1 से

11. चालक प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
12. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान को दिया गया कार्य आदेश संस्थान द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
13. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को फार्म की ओर से भोजन , आवागमन संसाधन, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध नहीं करवायी जाएगी । इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित मानव शक्ति प्रदाता संस्थान की होगीं
14. ठेकेदार संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कामगार निगम की जरूरत व आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जायेगे। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी /बढ़ायी जा सकती है। चालक समय पर न उपलब्ध करवाने की स्थिति में फार्म को यह अधिकार होगा कि वह चालक की वजह से हुये नुकसान की भरपाई मानव शक्ति प्रदाता संस्था से कर सकेगा।
15. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान के बिलो का भुगतान 15 दिवस पर टैक्स काटकर देय होगा।
16. सर्विस टैक्स /जी.एस.टी. की राशि मानव शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा बिल में क्लेम करने पर ही फार्म द्वारा देय होगी।
17. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान व निगम के बीच किसी प्रकार विवाद की स्थिति में मामला आर्बिटेशन हेतु अध्यक्ष सह – प्रबंधक निदेशक महोदय राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नमित /मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनो पक्षो को अन्तिम व मान्य होगा एवं उनके साथ किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र , श्री विजयनगर होगा।
18. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा प्रदत चालक/कामगारो को नियमित रूप से भुगतान करना तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिकों चालको को किये गये पिछले 15 दिन के भुगतान की प्रमाणित रसीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देनी होगी।
19. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा लगाये गये श्रमिकों व चालकों के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान कोई हादसा या दुर्धटना होती है तो उसके लिए मानव शक्ति प्रदाता संस्थान ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, श्रीगंगानगर (राज0)

पत्रॉक–के.रा.फा / जैत / यॉत्रिक / 12–7 / 2019–20 / दिनांक अप्रैल 2019

श्रीमान उपमहाप्रबन्धक (फार्म)
केन्द्रीय राज्य फार्म
जैतसर

निविदा प्रपत्र

विषय :– **फार्म पर ठेके पर ट्रैक्टर चालकों की विभिन्न कृषि कार्यो हेतु स्वीकृत दर।**

क्रम सं.	यॉँत्रिकी ऑपरेशन का विवरण	दर प्रति एकड़ / घण्टा
1	ऑफ सैट हैरो प्रति एकड	
2	कल्टीवेटर प्रति एकड	
3	सुहागा प्रति एकड	
4	सीड ड्रिल चलाना प्रति एकड	
5	रोटावेटर चलाना प्रति एकड	
6	बार्डर हैरो से बट डालना प्रति एकड	
7	डिस्क / एम.बी प्लाउ चलाना प्रति एकड	
8	ट्यूबवैल / इंजिन चलाना प्रति घण्टा	
9	स्प्रिकलर जनरेटर चलाना प्रति घण्टा	
10	तोता प्लाउ चलाना प्रति एकड	
11	कम्बाईन हरवेस्टर चलाना प्रति एकड	
12	हाई कैपेस्टी स्प्रेयर चलाना प्रति एकड	
13	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर चलाना प्रति एकड	
14	जे.सी.बी मशीन प्रति घण्टा	
15	ट्रैक्टर माउन्टेड / बकेट कराहा चलाना प्रति घण्टा	
16	स्पाईक टूथ हैरो से फसल मे गुडाई करना प्रति एकड	
17	कल्टीवेटर से फसल मे गुडाई करना प्रति एकड	
18	ट्रैक्टर ट्राली द्वारा ट्रासपोर्ट (12 कि.मी. के दायरे मे आना व जाना)	
19	हैल्पर कार्य प्रतिदिन	
20	खाद छिड़कना (फर्टीलाइजर मशीन द्वारा प्रति एकड़	
21	मूँगफली डिगर चलाना प्रति एकड़	
22	मूँगफली थ्रेसर / थ्रेसर चलाना प्रति एकड़	
23	प्रोसेसिंग प्लांट पर ट्राली चलाना प्रति चक्कर (उसी खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर या गोदाम पर)	
24	लोडर चलाना प्रति घंटा	

निविदा से संबधित सभी नियम व शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली गयी है और स्वीकार की जाती है।

हस्ताक्षर..
नाम..
पता..
....
....
मोबाईल न. ....
इ–मेल..